


प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखें)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (GWALIOR), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक: 040212709 स्कूल आई.डी. - 35761  
प्रति,

दिनांक:- 08/02/2018

प्रबंधक,

(VIDYA BHAVAN PUBLIC SCHOOL)

वषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 14/09/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से पधातवती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल - VIDYA BHAVAN PUBLIC SCHOOL, KAVI NAGAR, AIRPORT ROAD, GWALIOR को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक का मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न लखत शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता वस्तुस्थिति नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता संबंधिता की कोई बाधयता कसी भी रूप में व्यवक्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दपा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश पत बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते क जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी स्कूल कोई भी कैप्टेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ कसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सवत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए वहित की गई वस्तुस्थिति का उध के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या उनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा क-
  - कसी स्कूल में प्रारंभक शिक्षा पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्कासत नहीं कया जाएगा;
  - कसी बालक को पारिरेक या जान सतक रूप से प्रता डर नहीं कया जाएगा;
  - प्रारंभक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बाध परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभक शिक्षा पूर्ण करने काल प्रत्येक बालक की पठनपत्र वक दिक्षा अडवा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/ग्रशक्ष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित कया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते क वर्तमान में कार्यरत जो शक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन पत्रिटेड कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायदेड टी चंग की गति वध्यों में शक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/रंगी।
- स्कूल समुचत प्राधकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में वहित कए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुवधा के अनुगत में स्कूल में बच्चों का नामांकन कया जाएगा।

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में वनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सु वधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं:-

सु वधाएँ	पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	कराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	87120
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	24574
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	10000

अधिसंरचना का ववरण		पोर्टल मे दर्ज		वास्तविक स्थिति	
वर्ग	Rooms as per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	30	530	30	580
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-पधानाध्यापक कक्ष	4	600	2	200
3	भोजनालय-सह-भण्डार	1	600	0	0

अन्य सु वधाएँ		पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सु वधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/सही	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	15000	15000
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	14	8
6	पेयजल सु वधा का प्रकार	Pipe Water	Pipe Water
7	पेयजल सु वधा की संख्या	3	3
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/सही)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	5
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	5
11	बकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	5
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/सही	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा शत्यापित होंगे और उचित लेखा ववरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के ववरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..040212709.. एवं डाईसकोड (DISE) 23040516027 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएंगे।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएंगे।
- सोसायटी/रूयस, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद्द हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भारतीय  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 जिला ग्वालियर  
 मध्य प्रदेश